18/7/25

वकील करौली उप0। एवं वकील फरीकैन का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला ने जा0 पत्र दे की कार्यवाही सं0 8758, 8759, 8762, 8763 कुल संख्या 4 कुल संख्या 2 पीस 10 मिनट तक चली कार्यवाही दरम्यान नि-110 दण्डनीय कार्यवाही को उपस्थित अधिवक्ता व फरीकैन की अभिवचन सुनाया है जिसमें मामले के कार्यवाही निर्देश 476-479 देय की है। जिसमें प्रकरण व मुकदमात गत मामला लिया है कि अभि मामला व मुकदमात की कार्यवाही उपरान्त सुनवाई व फरीकैन की है। अर्थ विरोधाभास उत्पन्न की है जिस मामलात का व मुकदमात का फैसला फरीकैन है। सम्बन्धित जा0 पत्र चलने योग्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से मामलात के पक्ष से प्रथम दृष्टया केस होना साबित नहीं होता है। सम्बन्धित जा0 पत्र मामलात चलने योग्य नहीं है। अतः जा0 पत्र मामलात निरस्त मुकदमात खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रथम श्रेणी जिला मजिस्ट्रेट करौली के समक्ष निगरानी आदेश हेतु प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:31:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)